14/07/23 वकील प्रार्थी उपस्थित बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं प्रस्तुत समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 350 ग्राम कुरबड़ा में प्रार्थी का नाम मोहर सिंह दर्ज होना पाया जाता है प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060 में प्रार्थी का

नाम अन्य भाईयो/खातेदारान के साथ मोहरसिंह के बजाय अमरसिंह दर्ज होना पाया जाता है जो एक लिपिकिय भूल है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो में प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम मोहरसिंह होना पाया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct के अन्तर्गत प्रमाणित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मालनगर के खाता सं. 110 ख.नं. 390 रकबा 0.4900 हैक्टेयर मे दर्ज खातेदार अमरसिंह पुत्र देवीसहाय के स्थान पर मोहरसिंह पुत्र देवीसहाय दर्ज किया जावें। शेष रिकार्ड बदस्तूर रहें। निर्णय की पालना मे तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14/7/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सेकम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)